

सं०-2/उत्तर प्रदेश/2015 बीपी-3
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक 1 अक्टूबर, 2018

सेवा में,

प्रधान सचिव,
खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तर प्रदेश सरकार,
सेक्रेटेरियल एनेक्सी, लखनऊ-226001

विषय: उत्तर प्रदेश को कुंभ मेला 2019 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य से निकाली गई दर पर 5384 टन चावल और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 7834 टन गेहूँ के अतिरिक्त आवंटन के संबंध में।

महोदया,

मुझे उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र सं. 1943/29-6-2018-1(6)/2000 टीसी दिनांक 31 अगस्त, 2018 का हवाला देने और यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार किया गया है और उत्तर प्रदेश को कुंभ मेला 2019 की खाद्यान्नों की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य से निकाली गई दर पर 5384 टन चावल और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 7834 टन गेहूँ का अतिरिक्त आवंटन करने का निर्णय लिया गया है।

2. लागत जमा करने और उपर्युक्त अतिरिक्त आवंटन के उठान की वैधता अवधि 31 जनवरी, 2019 तक होगी। उत्तर प्रदेश सरकार से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि इस अतिरिक्त आवंटन का उठान निर्धारित वैधता अवधि के भीतर किया जाए। उपर्युक्त आवंटन का उपयोग प्रमाण-पत्र भी इस विभाग को भेजा जाए।

भवदीय,

असित

(असित हालदर)

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली
2. संयुक्त सचिव (बीपी/पीडी/आर्थिक सलाहकार (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम)
3. कार्यकारी निदेशक (बिक्री)/ महाप्रबन्धक (बिक्री), भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली
4. महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, आंचलिक कार्यालय, लखनऊ
5. निवासी आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार, नई दिल्ली
6. निदेशक (पीडी)/निदेशक (नीति)/ निदेशक (संचलन)/ संयुक्त निदेशक (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम)/ उप सचिव (वित्तीय)/उप सचिव (बीपी)
7. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम/बीपी-1/नीति-1/पीडी-1/पीडी-2/पीडी-3/ संचलन-1/एफसी लेखा अनुभाग
8. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग से अनुरोध है कि इस आवंटन पत्र को वेबसाइट पर अपलोड करें।
9. हिन्दी विभाग से अनुरोध है कि इस पत्र का हिन्दी अनुवाद उपलब्ध कराए।
10. राज्य फाइल/गार्ड फाइल